

# कायालय मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

पत्रांक : 35/14 / चार (भ० नियंत्रण)

दिनांक: 20/1/15

श्री/श्रीमती/मैसर्स रिद्धी प्रोमोटर प्रा० लि० के 16

हरा डायरेक्ट प्रोजेक्ट जेन

जो क्षेत्रीय प्रोजेक्ट जेन नि० 68/3 कलानगर के 16

आपके पत्र दिनांक 15/1/15 मानचित्र सं० 35/14 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण को मौहल्ला/कालोनी/ग्राम से देखा जा रहा है।

भूखण्ड/भवन सं० 482/483 पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति उ०प्र० नगर नियोजन एवम् विकास अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पाँच वर्ष तक वैध है।

2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा अन्य किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।

4. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।

5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में शामिल नहीं होगा वहा प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।

6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि नोडों पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।

7. आप भवन उप-नियमों के नियम 21 में अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।

8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।

9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप-नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।

प्र.10 प्राधिकरण के अध्यासन (ओक्यूप्न्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर या कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नक:- स्वीकृत मानचित्र की प्रति।  
प्रतिलिपि:- अवर अभियन्ता को प्रेषित।

20/01/15  
प्रभारी मानचित्र  
जोन (A)

RIDDHI PROMOTERS Pvt. Ltd.  
AUTHORISED SIGNATORY

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ